न्यायालय तहसीलदार लूनी, जिला जोधपुर (राज.)

राजस्व मुकदमा प्रकरण संख्या 01/2017

प्रार्थी — **बनाम** — **अप्रार्थी**

राज्य सरकार जरीये पटवारी

श्री ....परसराम, छगनाराम, जेठाराम,
पुत्र ....दुर्गाराम s/o प्रभूराम
जाति ....मेघवाल....
तहसील, लूनी जिला–जोधपुर

मामला अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956 के तहत पारित बेदखली ओदश
निर्णय दिनांक ....24-01-17....

–: आदेश :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की कि अप्रार्थी ने ग्राम ....रामगढ़.... के खसरा नम्बर ....301.... की सरकारी .... भूमि पर ....कब्जा.... बीघा पर ....0:05.... अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी के विरुद्ध धारा 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस विधिवत तामिलसुदा प्राप्त हुआ जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अप्रार्थी जारी नोटिस के सम्बन्ध में उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी द्वारा अपना कब्जा पुराना होने बाबत कोई सबूत प्रस्तुत नही किया न ही नियमन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमन की कार्यवाही चाही गई है।

अतः अप्रार्थी को अतिकमित भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है अतिक्रमण करने के जुर्म में लगान ....0:44.... का 50 गुणा जुर्माना ....22.... रुपये की शास्ति से दण्डित किया जाता है। एवं अतिक्रमण की गई भूमि से तत्काल बेदखली के आदेश पारित किये जाते है। पटवार हल्का ....धुन्धाड़ा.... को आदेश दिया जाता है। पटवारी हल्का अतिक्रमित को मौके से बेदखल कर भूमि का कब्जा तहविल सरकार में लेकर रिपोर्ट बेदखल पेश करें। पटवारी हल्का ....धुन्धाड़ा.... एवं टी.आर.ए तहसील लूनी जुर्माना मांग शयनी हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैशल शुंमार होकर नम्बर से कम हो रेकर्ड में जमा की जावे।

निर्णय आज दिनांक ....24-01-17.... को सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार लूनी

जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner